

न्यायालय—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, त्योंथर रीवा (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी—वंदना सोनी)

SUM Registration No.341/2022
Filing No. SUM/1862/2022
CNR No. MP1707-002392-2022
Filing Date 12-10-2022

मध्य प्रदेश राज्य,
द्वारा आरक्षी केन्द्र चाकघाट,
जिला रीवा (म.प्र.)

.....अभियोजन

॥ विरुद्ध ॥

दीपक सेन पिता मिश्रीलाल सेन 19 वर्ष,
निवासी ग्राम चाकघाट थाना चाकघाट जिला रीवा (म.प्र.)

.....अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक 12.10.2022 को घोषित)

1. अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 36 (सी) के अंतर्गत दोषी पाया जाता है। उक्त अपराध के लिए अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा तथा **रु. 1000/- (एक हजार रुपये)** के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न किये जाने की स्थिति में अभियुक्त को **10 (दस) दिवस** का साधारण कारावास भुगताया जावे।
2. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

(वंदना सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
त्योंथर (म.प्र.)